(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)

eF. No. 6/2(vi)/2022-BO.I
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

New Delhi, dated the 10th September, 2026
Bhadrapad 19, 1948 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 196l, the Central Government hereby nominates Shri Saurabh Kumar (Joint Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as a Director on the Board of Directors of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) *vice* Shri Abhijit Phukon, with immediate effect and until further orders.

(Sanjay Kumar Mishra)
Under Secretary to the Government of India

To:

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area, Ring Road,
New Delhi.

(भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3(ii) में प्रकाशनार्थ)

ई फा. सं. 6/2(vi)/2022-बीओ. I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 10 सितंबर, 2026

भाद्रपद 19, 1948 (शक)

अधिसूचना

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री सौरभ कुमार (संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को श्री अभिजीत फुकन के स्थान पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के निदेशकों के बोर्ड में निदेशक के रूप में मनोनीत करती है।

संजय

(संजय कुमार मिश्र)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड

नई दिल्ली